हरियाणा राज्य

बनाम

राम सिंह

15 जनवरी, 2002

[उमेश सी. बनर्जी और एन. संतोश हेगड़े, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860/साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 302/धारा 3 और 27

हत्या-आरोप तय-अभियोजन का मामला-की विश्वसनीयता-चिकित्सीय साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के बीच विरोधाभास-घटना स्थल पर कुछ हड्डियों की उपलब्धता की साक्ष्य पोस्टमार्टम डॉक्टर के समक्ष परीक्षण के लिए नहीं रखा गया-प्रकटीकरण बयान और अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी की तारीख के बीच असंगति-सभी खुलासों, खोजों और गिरफ्तारी के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं-सभी चश्मदीद गवाह मृतक के रिश्तेदार-विचारण अदालत ने साक्ष्य को विश्वस्नीय मानते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और अन्य को दोषी ठहराया-क्रॉस अपील में अभिर्निधारित, उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त को सही बरी कर दिया, लेकिन अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं करने में गलती की।

आपराधिक मुकदमाः

चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी का विवरण-दोनों के बीच विरोधाभास।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट-इसका महत्व-केवल रिपोर्ट साक्ष्य-प्रमाण के लिए ठोस आधार नहीं-पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य का महत्व, मृतक के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों और हथियार के उपयोग के संदर्भ में होता है-उसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से भी होनी चाहिए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब शिकायतकर्ता और मृतक एक साथ थे, तो दो अभियुक्त व्यक्तियों ने अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों के उकसाने पर मृतक पर गोलियां चलाईं। तुरंत, आरोपी व्यक्तियों ने मृतक के शव को कंबल में लपेटा, जीप में डाल और चले गए। इसके बाद शिकायतकर्ता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियुक्त व्यक्तियों पर आई. पी. सी. की धारा 201 के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए थे। विचारण अदालत ने एक आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य सभी को धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने पहली अपील में आरोपी/प्रत्यर्थी को बरी कर दिया और अन्य सभी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इसलिए ये परस्पर विरोधी अपीलें हैं।

न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए ,अभिर्निधारित कियाः

1. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अपने आप में साक्ष्य-प्रमाण के लिए ठोस आधार नहीं है परन्तु पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर की साक्ष्य को किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं माना जा सकता है। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर की साक्ष्य का महत्व, मृतक के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों और संभावित हथियार के उपयोग के संदर्भ में होता है और तब अभियोजक का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह पुष्टि करने वाली साक्ष्य को अभियोजन के अन्य साक्षियों के माध्यम से अभिलेख पर उपलब्ध कराए।

2. इस मामले में, चिकित्सीय साक्ष्य एक चोट नीचे की ओर रूझान लिए हुए और दो चोटें बंदूक की गोली के लगने से जिनमें से एक सामने से व एक पीछे से से लगने की इशारा करती हैं। चश्मदीद गवाहों के अनुसार दो अभियुक्तों ने अपनी अपनी बंदूकों से गोली चलाई जो तथ्य चिकित्सा साक्ष्य से कोई समर्थन प्राप्त नहीं करता है, बल्कि इसके विपरीत चला जाता है। इसके अलावा, घटना स्थल पर कुछ हड्डियों की उपलब्धता का निश्चित प्रमाण पोस्टमॉर्टम डॉक्टर के सामने जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि उनका सम्बधं मृतक व्यक्ति के साथ हो सकता था। इसके अलावा केवल इस्तेमाल किए गए हथियार का पता लगाने के

लिए मृतक के शरीर को एक्स-रे के लिए भेजा गया था, जिसे जांच की तारीख तक डॉक्टर को नहीं दिखाया गया था या अदालत के समक्ष पेश भी नहीं किया गया। इन हड्डियों की सीरोलॉजिकल रिपोर्ट आैर न ही बैलिस्टिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट जो हथियारों की प्रकृति के बारे में थी, सामने आई। अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। यह वही अभियोजक है, जिसने हड्डियों के टुकड़े बरामद किए हैं आैर उन्हें प्रदर्शित करवाया लेकिन पोस्टमॉर्टम डॉक्टर के सामने पेश नहीं किया जो अन्यथा हड्डियों की पहचान मृतक के रूप में करने में सक्षम होता। अभियोजन पक्ष की इस विफलता को केवल एक चूक के रूप में नहीं लिया जा सकता है, बल्कि एक एेसी विफलता है जो विश्वास की कसौटी पर खरी उतरने में एक लंबा समय लेगी।

3. उच्च न्यायालय ने पहली अपील दिनांक 29.2.1992, में अभियुक्त-प्रतिवादी की अंगुष्ठ छाप वाली प्रकटन विवरण में उसकी संलिप्तता को संदेहास्पद माना क्योंकि उसे 13.2.1992 को गिरफ्तार किया गया था और इस तरह उनका 29.1.1992 काे प्रकटीकरण बयान होना सम्भव नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने इस विसंगति को देखा और उस अभियुक्त को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया, जिसके कहने पर अंगूठी बरामद होना पाया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार नहीं किया है। दोनों के बीच टकराव और असंगति भी न्यायालय के मन में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता शून्य है।

4. हालांकि यह सच है कि इस मुद्दे के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है कि हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में, यह न्यायालय तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष होने की स्थिति में हस्तक्षेप करने में धीमा रहेगा, लेकिन यह भी समान रूप से तय है कि यदि निष्कर्ष, जो किसी भी मौलिक नियमों की विकृति या अभियोजन मामले की जड़ तक जाने वाले एक निश्चित प्रक्रियात्मक अन्याय से ग्रस्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप धीमी गति से होने का सवाल नहीं है।

अर्जुन मारिक और अन्य बनाम बिहार राज्य, **[1994] पूरक। 2 एससीसी 372, संदर्भित।**

5. अपील के तहत दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से चश्मदीद गवाहों के और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभासों से संबंधित एक शब्द भी नहीं है। प्रासंगिक तथ्यों में, चिकित्सा साक्ष्य सकारात्मक रूप से चश्मदीद गवाहों का विरोध करते हुए चक्षुदृष्टा साक्ष्य को भरोसेमंद या विश्वसनीय नहीं बनाती है। अभिलेख पर कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है।

6. सभी तथाकथित चश्मदीद गवाह मृतक के संबंधी हैं और इस प्रकार वे हितबद्घ गवाहों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि साक्ष्य को केवल एक हितबद्घ गवाह होने के कारण अस्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन उस स्थिति में न्यायालय इस तरह के साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में अपनी जांच में सख्त होगा। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से बयानों पर भरोसा किया है और अभिलेख पर उपलब्ध विरोधाभासों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह उच्च न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट त्रुटि है। गोलियों के साथ कुछ हथियार जब्त किए गए हैं और यह कहा गया है कि इस तरह की बरामदगी प्रकटीकरण बयान के संदर्भ में की गई थी। यह दृढ़ता से आग्रह किया गया है कि यह धारा 27 का उल्लंघन है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 निस्संदेह, एक अपवाद प्रदान करती है, लेकिन न्यायालय को इस प्रावधान के उल्लंघन के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

पुलुकुरी कोटय्या बनाम सम्राट 74 भारतीय अपील 65, **एआइआर (1947) पी. सी. 67 और** *प्रभू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर.* **(1963) एस. सी. 1113, संदर्भित।**

साक्ष्य पर सरकार, **(15 संस्करण), का उल्लेख किया गया है।**

7. महत्वपूर्ण रूप से सभी खुलासे, खोज और यहां तक कि गिरफ्तारियां भी तीन विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई। अभियोजक द्वारा अपनाई गई सरलता की कोई सीमा नहीं थी। मामले पर आगे विचार किए बिना, एक बात कमोबेश कुछ निर्णायकता के साथ बताई जा सकती है कि ये कम से कम यह संदेह या शक पैदा जरूर करते हैं कि क्या उनमें

आवश्यकतानुरूप तैयार किया गया या नहीं और इस तरह का संदेह होने की स्थिति में, लाभ अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में जाना भी चाहिए। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय को सबूतों की जांच पर संबोधित किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विश्वसनीय है लेकिन उच्च न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के बीच कुछ विसंगतियों के आधार पर एक अभियुक्त व्यक्ति को बरी कर दिया। इस प्रकार मौखिक गवाही संदेह से घिरी है। यदि ऐसा है, तो हितबद्घ गवाहों की सर्व उपस्थिति के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं रही है। हालांकि यह सच है कि हितब गवाहों की वैधता को किसी भी तरह से कलंकित नहीं किया जा सकता है और न ही इसे संदिग्ध गवाह कहा जा सकता है लेकिन साक्ष्य को विश्वसनीय होने या विश्वास पैदा करने में सक्षम होने से पहिले, न्यायालय को उचित जांच के आधार पर इस पर विचार करना होगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य पर विचार नहीं करने में पूरी तरह से गलती की।

8. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक लगभग 2/3 दिनों से गाँव से लापता था और 21.1.1992 को उसकी हत्या कर दी जाती है और बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा अभिलख पर बचाव पक्ष की साक्ष्य हैं। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष को यह कह कर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को यह सुझाव नहीं दिया गया था कि हत्या 21.1.1992 को ही हुई थी और बचाव पक्ष के गवाह शोक में भाग लेने भी आये थे। संयोग से बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को हमेशा दागी नहीं कहा जा सकता है। वे अभियोजन की तरह ही समान व्यवहार और समान सम्मान के हकदार हैं। विश्वसनीयता और विश्वास-योग्यता का मुद्दा भी बचाव पक्ष के गवाहों पर उसी प्रकार लागू होना चाहिए जैसे कि अभियोजन पक्ष पर। बचाव पक्ष के गवाह की अस्वीकृति में उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीरता नहीं दिखाई गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुझाव दिया गया था कि मृतक घटना के दिन से लगभग 2/3 दिन पहले से लापता था, विपक्ष से और क्या उम्मीद की जा सकती है; एक संदेह या निश्चितता-न्यायिक रूप से एक संदेह पर्याप्त होगा। जब ऐसा सुझाव दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को कुछ स्वतंत्र साक्ष्य के साथ उन दो-तीन दिनों के दौरान मृतक की उपलब्धता को रिकॉर्ड पर लाना

चाहिए था। बचाव पक्ष के मामले को केवल उसके कारण से अस्वीकार करना बचाव पक्ष के लिए उसे पूरा करने के लिए बहुत सख्त और कठोर आवश्यकता है। यह अभियोजक का कर्तव्य है कि वह सभी उचित संदेहों से परे मामले को साबित करे, न कि बचाव पक्ष को अपनी बेगुनाही साबित करनी है। यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति है, जिसे संदिग्ध प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।

आपराधिक अपील न्याय निर्णय 1999 की आपराधिक अपील सं. 78 .

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील संख्या 1995 की 421-डी. बी मे पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 2.7.97 से

के साथ

क्रिमिनल अपील संख्या 1999 की 79

महाबीर सिंह, एस. डी. शर्मा, उमा दत्ता, ऋषि मल्होत्रा, तरुण शर्मा, किशन दत्ता, राजेश के. शर्मा, सुश्री शालू शर्मा, प्रमोद कुमार यादव, गुडविल इंडीवर, उपस्थित पक्षो के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश **बनर्जी, जे. के** द्वारा सुनाया गया

हालांकि यह सच है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं है, परन्तु पोस्टमॉर्टम कराने वाले डाक्टर की साक्ष्य को किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं माना जा सकता है। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर की साक्ष्य का महत्व, मृतक के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों और संभावित हथियार के उपयोग के संदर्भ में होता है और तब अभियोजक का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह पुष्टि करने वाली साक्ष्य को अभियोजन के अन्य साक्षियों के माध्यम से अभिलेख पर उपलब्ध कराए।

यह दोनों दांडिक अपीलें जिनके नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 78/1999 और क्रिमिनल अपील नंबर 79/1999 हैं, उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अन्तर्गत उत्पन्न हुई हैं जो कि हिसार के विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध

सेशन्स केस नंबर 80/1992 में प्रस्तुत हुई जिसमें (1) भजनलाल, (2) रायसाहब, (3) रामसिंह और (4) रामकुमार ने मुकदमे का सामना किया। सभी अभियुक्तों पर भा०द०सं० की धारा 302 सपठित धारा 201 के अन्तर्गत आरोप गठित किये गये और विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हिसार ने अपने 9/10 अगस्त, 1995 के निर्णय के अन्तर्गत भजनलाल को 302 भा०द०सं० के आरोप के लिये दोषी ठहराया और आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया जबकि अभियुक्त रायसाहब, रामसिंह और रामकुमार को भा०द०सं० की धारा 302/149 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया और उन्हें भी उसी प्रकार दंडित किया गया जैसे कि भजनलाल को। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने किसी भी अभियुक्त को, भा०द०सं० की धारा 302 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करने के कारण, भा०द०सं० की धारा 201 के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं किया। हालांकि, अभियोजन का मामला इस प्रकार है:-

परिवादी बुधराम, (मृतक) मनफूल का भाई है। वे चिन्दर गांव के रहने वाले हैं। 22.01.1992 को बुधराम और मनफूल प्रातः लगभग 6 बजे मंदिर पर गये और प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर वापस लौट आये। जब मनफूल, बुधराम से लगभग दस कदम आगे होकर किशनलाल के घर के पास पहुंचा कि तभी एक जीप नंबर आरजेआई-3407 वहां आई और रिछपाल जो चिन्दर का रहने वाला था और अपीलार्थी भजनलाल बन्दूकें लिये हुए जीप के पास खड़े थे। अपीलार्थी रायसाहब चालक सीट पर बैठा हुआ था। अपीलार्थी राम कुमार और राम सिंह उर्फ सिंघा भी सामने की सीट पर उसकी बगल में बैठे थे। आरोपी राम कुमार और राम सिंह ने मनफूल को देखकर कहा कि मनफूल ने राम सिंह से बेईमानी से जुआ खेलकर पैसे कमाए थे और उसे बेईमानी के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। रिच पाल और भजन लाल ने अपनी-अपनी बंदूकों से एक-एक गोली चलाई और गोली लगने के परिणामस्वरूप मनफूल नीचे गिर गया। शिकायतकर्ता-बुद्ध राम ने डर से मंदिर में शरण ली। गोली की खबर सुनकर मनफूल का बेटा ढोलू राम वहाँ पहुँच गया। अभियोजन का

मामला आगे यह है कि इसके तुरंत बाद राम कुमार और सिंघा जीप से उतरे और उन चारों ने शव को एक कंबल में बांध दिया और उसे जीप में डाल दिया और फिर घटनास्थल पर मौजूद लोगों को धमकी देकर अपनी जीप में चले गए। शिकायतकर्ता-बुध राम ने अपने भाई-रणजीत को सूचित किया और उसके बाद एक ट्रक में जीप का पीछा किया। उन्होंने बडोपाल और भोला आदि में नहरों और सड़कों पर गहन खोज की,लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए, शिकायतकर्ता-बुध राम, धोलूराम के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अग्रोहा पुलिस स्टेशन गए। बुद्ध राम का कथन दोपहर के 3:05 बजे दर्ज किया गया था, जो एफ़. आई. आर. (एक्स. पी.एफ.) का आधार बना।

स्टेशन हाउस अधिकारी एस. आई. किशन दत्त पी. डब्ल्यू.-12 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार कहाः-

> " 22.1.1992 को मैं एस.एच.ओ. पी.एस. अग्रोहा के रूप में तैनात था। उस दिन, बुध राम पुलिस स्टेशन में मेरे पास आया। उसके साथ ढोलू राम भी था।
>
> उन्होंने मेरे सामने बयान दिया जिस पर मैंने एफ. आई. आर. Ex.PF दर्ज की जिसे पढ़ कर उसे समझाया गया जिस पर उसने उसकी शुद्धता के प्रति सांकेतिक रूप से हस्ताक्षर किए। मैंने उस पर पुलिस कार्यवाही दर्ज की, उसे एफ.आई.आर. की एक प्रति दी और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। फिर मैं वहाँ से चला और बुध राम व ढोलू राम के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। मैंने खून से सनी मिट्टी, हड्डियों के दो-तीन टुकड़े मौका से उठाए जिन्हें अलग सीलबंद पार्सल में बदल दिया गया था। के डी की मुहर का उपयोग किया गया। धोलू राम पीडब्लू1 को उपयोग के बाद मुहर दी गई। मैंने खून से सनी मिट्टी प्रदर्श पी.12 और हड्डियों के तीन टुकड़े प्रदर्श पी.13/1-3 फर्द बरामदगी प्रदर्श पीजी के माध्यम से उठाये जिन्हें ढोलूराम और

बुधराम के द्वारा सत्यापित किया गया। मैनें घटना स्थल का कच्चा नक्शा प्रदर्श पीआर बनाया आैर धोलू व बुद्ध राम के ब्यान लिए। मैंने अभियुक्तों के घर पर छापा मारा परन्तु वे फरार पाये गये। मैंने नहर में लाश की खोजबीन की। मैं बुद्धाखेड़ा गांव में एक रात रूका। 23.01.1992 को मैंने माल मुकदमा को मालखाना प्रभारी को सौंप दिया।

26.01.1992 को मैं, रणजीत और ढोलूराम के साथ अभियुक्तों और लाश की खोज के लिये जा रहा था। चेबल माइनर (मोरी) पर यादराम मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि उसने और आत्माराम ने मनफूल की लाश को रामपत के खेत के पास चुली बागरियां माइनर से बरामद किया है। तब मैं वहां पहुंचा और शव के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की और जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी.डी./1 तैयार की। जांच की कार्यवाही के दौरान मैंने ढोलू, रणजीत, यादराम और आत्माराम के बयान लिखे। मैंने हैड कांस्टेबल जगदीश और सिपाही साधूराम को लाश का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी.डी. करवाने के लिये लाश और पोस्टमार्टम के लिये प्रार्थना पत्र सौंपा।"

इस स्तर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:-

"यह एक आदमी का मृत शरीर था, जो मध्यम दर्जे का पोषित, नग्न अवस्था में था जिसका मुंह और आंखे बन्द थे, शरीर गीला था और कीचड़, गन्दगी और पत्तों से सना हुआ था। हाथों की त्वचा सूजी और पानी से भीगी हुई थी। नाखून और बाल आसानी से

खींचकर अलग किये जा सकते थे। मनफूल की दाहिनी अग्रभुजा के सामने की ओर "मनफूल" नाम से एक टैटू चिन्ह था, मृतक की ऊंचाई 5 फिट 11 इंच थी और उसके निम्नलिखित चोटें भी पाई गईं:-

1. एक कुचला हुआ घाव अनियमित आकार का जो खोपड़ी के पीछे दाहिने पार्श्व भाग पर था जिसका आकार 10 cm Anterio Posteriorly और त्वचा सहित 12 cm एक ओर से दूसरी ओर था व सबक्यूटेनियस उत्तक और उसके नीचे की हड्डियां जो कि दांयी और बांयी पैराइटल हड्डी, दाहिनी टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल पर था। मस्तिष्क में पोस्टीरियर ओरेनियल फॉसी के कुछ पदार्थ को छोड़कर, मस्तिष्क का शेष पदार्थ गायब था। इसमें मौजूद हड्डियां भी अनुपस्थिति थीं।

2. छाती के बांये स्केपुलर क्षेत्र में एक अण्डाकार छिद्र था (यद्यपि मैंने गलती से पेट लिख दिया है) जो 1.5 सेंटीमीटर x 1 सेंटीमीटर था जिसके ज़ख्म के चारों ओर कॉलर एब्रेजन मौजूद था। ज़ख्म की दिशा तिरछी थी जो नीचे की ओर आगे जा रही थी। विच्छेदन पर चौथी पसली बीच में से टूटी हुई पाई गई। बांये फेफड़े पर घाव था और फेफड़ा द्रव से भरा हुआ था। बांये फुफुसीय गुहा में खून के थक्के मौजूद थे। कुछ छर्रे और बाह्य तत्व बरामद हुए। फुफुसीय गुहा की पूर्ववर्ती दीवार भी द्रव्य से भरी हुई थी और बांये स्मृति क्षेत्र के सबक्यूटेनियस भाग में रक्त स्त्राव पाया गया।

3. एक छेदा हुआ घाव जो पेट के बांयी ओर नाभि से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बांयी ओर था। ओमेंटम और आंतड़ियों के कुछ हिस्से

ज़ख्म में से बाहर आ रहे थे। ज़ख्म के चारों ओर उसके किनारे पर कॉलर एब्रेजन मौजूद था। ज़ख्म चारों ओर से कालख लिये हुए था। विच्छेदन करने पर त्वचा के सबक्यूटेनियस उत्तकों में कंजेशन पाया गया और पेरिटोनियम केविटी में काफी मात्रा में रक्त मौजूद था। ओमेंटम कंजेस्टेड था तथा छोटी आंत के हिस्सों पर भी कंजेशन देखा गया। तिल्ली फटी हुई थी। आग्नेयास्त्र के कुछ छर्रे तथा बाह्य तत्व बरामद हुए। छोटी आंत में कुछ मात्रा में अधपचा भोजन मिला जो कि अर्द्धतरल/अर्द्धपच अवस्था में था।

इस प्रकार संक्षेप में तथ्यों से यह पता चलता है कि घटना 22.01.1992 को प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर घटित हुई और शव किसी आत्माराम और यादराम के द्वारा 26.01.1992 को बरामद किया गया। आत्माराम ने कहा:-

"26/27 जनवरी, 1993 को यानि कि लगभग दो साल और दो महीने पहले, वह और यादराम, मनफूल के शव की खोज कर रहे थे। हम राजपत के खेत के पास चुली माइनर के पास पहुंचे। वहां हमने एक शव को चुली माइनर में बहते हुए देखा। वह शव मनफूल का था। हमने शव को चुली माइनर (एक नहर) में से निकाला। मृतक के एक हाथ पर मनफूल नाम से टैटू गुदा हुआ था। मैंने भी चेहरा देखकर शव की पहचान की। खोपड़ी खाली (खोखली) थी क्योंकि खोपड़ी फूटी हुई थी। यादराम सूचना देने के लिये पुलिस स्टेशन चला गया। मैं शव के पास मौका पर ही रहा। यादराम पुलिस लेकर आया। ढोलू और रणजीत भी पुलिस के साथ आये। पुलिस ने मृतक के संदर्भ में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद मेरे बयान लिये"

13.02.1992 को मैं और रणजीत यह जानने के लिये कि क्या सिंघा उर्फ रामसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं, थाना अग्रोहा की ओर जा रहे थे। शव हमारे थाना जाने से लगभग 18-19 दिन पहले मिला था। थानेदार हमें खारा खेड़ी गांव के बस स्टैण्ड पर मिला था। तब सब-इंस्पेक्टर (थानेदार) को एक गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त रामसिंह चिन्दर गांव की ओर से आ रहा है। इसी बीच एक चौपहिया वाहन वहां आया जिसमें से अभियुक्त रामसिंह नीचे उतरा। हमारे बताने पर सब-इंस्पेक्टर ने रामसिंह को पकड़ लिया, जो आज न्यायालय में उपस्थित है। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर उस (रामसिंह) ने बताया कि 18-19 दिन पहले उसने चार अन्य आदमियों के साथ मनफूल सिंह की हत्या करने के पश्चात उसके शव को नहर में फेंक दिया था परन्तु उससे पहले उसने मृतक मनफूल की उंगली से सोने की अंगूठी निकाल ली थी जो उसने अपने घर में पलंग की निवाड़ में छिपा कर रखी है और वह उसे बरामद करवा सकता है। इस सम्बन्ध में उसका कथन प्रदर्श पी.क्यू. अभिलिखित किया गया जिस पर सिंह ने अपना अंगूठा लगाया और मेरे और रणजीतसिंह के द्वारा उसे सत्यापित किया गया। इसके पश्चात अभियुक्त पुलिस दल को चिन्दर गांव में स्थित अपने घर पर ले गया और अंगूठी को बरामद करवाया। (इस स्तर पर, एसएस की सील से सील एक पार्सल की सील तोड़कर उसे खोला गया और उसमें से एक अंगूठी को निकाला गया) अंगूठी प्रदर्श पी.12 है। यह वही अंगूठी है जो उपरोक्तानुसार पलंग में से बरामद की गई थी जिसे पार्सल में डालकर सील किया गया था और मीमो प्रदर्श पी.क्यू./1 के द्वारा अभिगृहित किया गया था जिसे मैंने और रणजीत ने सत्यापित किया था।

साक्ष्य की इस स्थिति के अन्तर्गत, उच्च न्यायालय ने रामसिंह के सम्बन्ध में दोषमुक्ति का आदेश पारित किया और इस प्रकार आंशिक रूप से अपील को स्वीकृत किया। अपने निर्णय में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों में से एक को बरी करने के इस तरह के आदेश के लिये तर्क को निम्नानुसार दर्ज किया:-

> ".....पी.डब्ल्यू.12 किशन दत्त की साक्ष्य से यह पता चलता है कि आरोपी रामसिंह उर्फ सिंघा को 13.02.1992 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन प्रदर्श पी.एल/2 यह भी दर्शाता है कि रामसिंह उर्फ सिंघा ने कथित तौर से अपने प्रकटीकरण कथन पर 29.01.1992 को अपना अंगूठा लगाया था। यदि अभियुक्त रामसिंह उर्फ सिंघा केवल 13.02.1992 को गिरफ्तार हुआ था, तब उसके द्वारा 29.01.1992 को प्रकटीकरण कथन दिया जाना सम्भव नहीं था। इसके अलावा प्रदर्श पी.क्यू. अभियुक्त रामसिंह उर्फ सिंघा द्वारा 13.02.1992 को दिया गया तथाकथित प्रकटीकरण कथन है। आत्माराम (पी.डब्ल्यू.-11) ने भी अपनी साक्ष्य में कहा है कि रामसिंह उर्फ सिंघा को 13.02.1992 को गिरफ्तार किया गया था और उसने प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी.क्यू.) किये थे जिसके अनुसरण में अंगूठी (प्रदर्श पी.12) बरामद की गई थी। यह विसंगति अभियुक्त रामसिंह की संलिप्तता को लेकर बहुत सन्देह पैदा करती है। अभियोजन की कहानी के अनुसार भी वह केवल जीप में बैठा हुआ था और उसने ललकारा मारा था कि मनफूल को सबक सिखाना चाहिये। यह भी कहा गया कि उसने तीन अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मनफूल को एक कम्बल में लपेटा और उसे जीप में डाला। ऊपर जो हमने कहा है, उस बात का ध्यान रखते हुए, हमारा

विचार है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस अभियुक्त को दोषी ठहराना पूरी तरह से असुरक्षित है और इसलिये हमारा विचार है कि उसे (रामसिंह उर्फ सिंघा) को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जाना चाहिये.....।"

संयोग से, तथ्यात्मक गणना यह दर्शाती है कि रिछपाल की मृत्यु विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण की प्रक्रिया के दौरान हुई थी और रिछपाल की मृत्यु के सम्बन्ध में, दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा वर्तमान अपील उसी सम्बन्ध में है। हालांकि, राज्य सरकार ने भी दोषमुक्ति के इस आदेश से व्यथित होकर अपील में इस न्यायालय का रूख किया। चूंकि यह अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिये इन अपीलों को समेकित किया गया और इन्हें एक साथ सुना जा रहा है।

अभियुक्तों के द्वारा दायर अपील के समर्थन में प्रमुख तर्क यह उठाया गया है कि अभिलेख पर जो चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध है, वह अभियोजन की कहानी को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। इसलिये, आओ, हम अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य पर एक नजर डालें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पहले से ही ऊपर देख लिया गया है और जो वर्तमान में हमारे उद्देश्य के लिये आवश्यक है, उस संदर्भ में हमें उक्त रिपोर्ट के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है जहां तक मृतक के शरीर पर आई चोटों का सम्बन्ध है। डॉ0 आर.के. कटारिया ने मृतक का पोस्टमार्टम 27.01.1992 को किया। अपनी साक्ष्य में वैसे वे स्पष्ट थे कि चोट संख्या-1, 2 और 3, तीन स्वतन्त्र शॉट्स का परिणाम थीं। हालांकि, चोट संख्या-1 के किसी भारी हथियार से आने की सम्भावना से

उन्होंने इन्कार नहीं किया। चोट संख्या-2 के सम्बन्ध में डॉ0 कटारिया ने स्पष्ट किया कि चोट की प्रकृति ही अपने आप में यह बताती है कि इसे हथियार से ऊपर से नीचे की ओर मारते हुए कारित किया गया और चोट संख्या-2 व 3 आग्नेयास्त्र से आना सम्भव बताया जिसे तीन फिट की सीमा के भीतर से दागा गया। यद्यपि डॉ0 कटारिया ने स्पष्ट किया कि चोट संख्या-.2 आग्नेयास्त्र से पीछे की ओर से कारित की जा सकती है परन्तु चोट संख्या-3 आग्नेयास्त्र से केवल सामने की ओर से आना ही सम्भव बताया है। हालांकि डॉ0 कटारिया ने आगे यह गवाही दी:-

> "चूंकि मैंने चोट संख्या-1 का एक्स-रे करवाया है, इसलिये, मुझे यह उचित नहीं लगा कि मैं चोट के एंटी या पोस्टमार्टम होने के सम्बन्ध में उसकी प्रकृति को लेकर विश्लेषण दूं या कि उसे मृत्यु कारित करने के लिये उत्तरदायी ठहराऊं। मैंने हथियार की प्रकृति का भी उल्लेख नहीं किया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो प्रारूप था, उसमें ऐसा कोई स्तम्भ नहीं था। इसलिये, मैंने चोट संख्या-2 व 3 के लिये भी हथियार की प्रकृति का संदर्भ नहीं लिखा। वस्तुतः, चोट संख्या-1 के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हथियार का पता लगाने के प्रयोजनार्थ ही उस चोट के एक्स-रे के लिये शव को भेजा था। यह सही है कि एक्स-रे रिपोर्ट के साथ हड्डियों के टुकड़े इस मुकदमे में नहीं दिखाये गये हैं। यह सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेरी यह राय अंकित है कि चोट सं0 2 व 3 शॉक और हेमरेज के कारण मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हैं, गलत है। स्पष्ट किया कि चोट सं0 1 का उल्लेख करना छूट गया था। मैंने चोट सं0 1 के संदर्भ में एक्स-रे परीक्षण का उल्लेख किया है। यह कहना गलत है कि मैंने चोट सं0 1 का उल्लेख मृत्यु

के कारण के सम्बन्ध में राय देते हुए इसलिये नहीं किया क्योंकि मैं पुलिस की कहानी को समर्थन देना चाहता था।"

चिकित्सक की साक्ष्य का अवलोकन तीन विशिष्ट विशेषताआें को दर्शाता है, अर्थात, (i) डाॅ० कटारिया द्वारा चोट सं० 1 का एक्स-रे कराने का लिखा गया था; (ii) आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये गये हथियार की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के लिये तैयार किये गये प्रफोर्मा में एेसा कोई काॅलम नहीं था आैर इसलिये डाॅ० कटारिया ने चोटें कारित करने में इस्तेमाल हुए हथियार की प्रकृति नहीं बताई। दरअसल, इस्तेमाल किये गये हथियार का पता लगाने के लिये ही मृतक के शरीर को एक्स-रे के लिये भेजा गया था। हालांकि, जांच की तारीख तक एक्स-रे रिपोर्ट डाॅक्टर को नहीं दिखाई गई, या अदालत के सामने भी पेश नहीं की गई; (iii) इस मामले में डाॅ० कटारिया को हड्डियों के टुकड़े भी नहीं दिखाये गये। यह तीन कारक बचाव पक्ष के इस तर्क को काफी हद तक समर्थन देते हैं कि यह एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें झूठा फंसावड़ा था।

इस निर्णय में अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों की स्थिति को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया है, जिसे अन्यथा टाला जा सकता था, लेकिन अभियोजन मामले की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिये ऐसा किया गया। चिकित्सा साक्ष्य एक चोट की और इशारा करती है जिसका रूझान नीचे की और है; चिकित्सा साक्ष्य बन्दूक की दो गोलियों से कारित चोटों की आेर भी इशारा करती है जिनमें से एक सामने से तो दूसरी पीछे से कारित हुई - हालांकि, चश्मदीद गवाहों के बयानों को चिकित्सकीय साक्ष्य से कोई सहयोग नहीं मिलता है बल्कि यह उनके विरूद्ध खड़ी दिखाई देती है। घटनास्थल पर कुछ हड्डियों की उपलब्धता का निश्चित प्रमाण पोस्टमाट्र्म करने वाले चिकित्सक को नहीं दिखाया गया। चश्मदीद पी.डब्ल्यू.8 बुधराम कहता है कि ललकारा

देने के बाद आरोपी भजनलाल ने उसके भाई मनफूल पर गोली चलाई और रिछपाल आरोपी ने उसके भाई पर एक गोली चलाई। आरोपी रिछपाल की मृत्यु हो चुकी है और भाई के गोली लगने से मौके पर गिर गया था। इसके तुरन्त बाद, चश्मदीद गवाह के द्वारा शोर मचाया गया जिस पर अभियुक्त भजनलाल और रिछपाल ने उसे धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वे पी.डब्ल्यू.8 को भी मार देंगे, जिस पर उसने मंदिर की ओट में जाकर शरण ले ली। गवाह यहां तक कहता है कि जब उसका भाई मनफूल नीचे गिर गया, तब राय साहब को छोड़कर शेष सभी अभियुक्तों ने उसे एक कम्बल में लपेटा और जीप में डाल दिया और राय साहब जीप को चला कर ले गये। इसके पश्चात गवाह ने कहा कि :-

> ".....फिर हमने यानि कि ढोलूराम, रंजीत आैर मैंने मुलजिमानों का एक ट्रक में पीछा किया। हम बड़ोपल की नहर पर गये। हमने आरोपियों को सड़क पर खोजा परन्तु वे नजर नहीं आये। हम बड़ोपल की नहर के किनारे पर गये। हम भोदा, सारगंपुर, खेरमपुर, कोहली और अन्य सड़कों पर और फिर नहर पर भी गये परन्तु मुलजिमानों, जीप और मनफूल को नहीं ढूंढ सके। आखिरकार, मैंने रिपोर्ट प्रदर्श पीएफ थाना अग्रोहा में दर्ज कराई। इस सम्बन्ध में एफआईआर प्रदर्श पीएफ पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एफआईआर की विषय-वस्तु मुझे पढ़कर सुनाई गई और उसे सही मानते हुए मैंने उस पर हस्ताक्षर किये।"

इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आई और हड्डियों के तीन टुकड़ों, खून से सनी मिट्टी को उठाया। दोनों को पार्सल बनाकर सील कर दिया गया। उपयोग के बाद दोनों को अलग-अलग सीलबंद करके सील को मुझे सौंप दिया गया। दोनों पार्सल को रिकवरी मेमो एक्स.पीजी के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। (जोर दिया गया)

गौरतलब है कि अभियोजक ने हड्डियों के तीन टुकड़ों वाला बंडल पेश किया, जिनकी पहचान पीडब्लू.8 ने हड्डियों के उन्हीं टुकड़ों के रूप में की है, जिन्हें घटना स्थल पर पुलिस अधिकारियों में जब्त कर लिया था - हालांकि, ये हड्डियाँ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के सामने जांच के लिए नहीं रखी गईं कि उनका मृत व्यक्ति के साथ क्या सह-संबंध हो सकता है। न तो इन हड्डियों की सीरोलॉजिकल रिपोर्ट और न ही इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति के बारे में बैलिस्टिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट सामने आई। सभी उचित संदेहों से परे आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। उच न्यायालय ने इस मुद्दे से निपटा है कि 29.1.1992 के राम सिंह के अंगूठे के निशान वाले प्रकटीकरण बयान से आरोपी राम सिंह की संलिप्तता पर बहुत संदेह होता है क्योंकि सिंह को 13.2.1992 को ही गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार 29.1.1992 के ऐसे प्रकटीकरण बयान नहीं हो सकते - यह वह विसंगति है जिसे उच्च न्यायालय ने देखा और राम सिंह, जिसके कहने पर अंगूठी बरामद की गई थी, को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के बयान के साथ-साथ चिकित्सा साक्ष्य पर विचार नहीं किया है - दोनों के बीच विमुखता और असंगतता भी न्यायालय के मन में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करती हैः अभियोजन मामले की विश्वसनीयता, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के कारण, शून्य स्तर पर है और तदनुसार राम सिंह को संदेह का लाभ मिला। यह यही अभियोजक है, जिसने हड्डियों के टुकड़े बरामद किए थे, इन्हें प्रदर्शित किया गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम डॉक्टर के सामने पेश नहीं किया गया था, जो अन्यथा मृतक के रूप में हड्डियों की पहचान करने में सक्षम होता। हमारे विचार में, अभियोजन की इस विफलता को महज एक चूक के रूप में नहीं लिया जा सकता, बल्कि एक ऐसी विफलता है जो उन पर भरोसा जताने के मामले में एक सम्बल सिद्ध होती।

हालांकि यह सच है कि कानून इस मुद्दे के संबंध में अच्छी तरह से तय है कि हत्या के अपराध के खिलाफ अपील में तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने में धीमा होगा लेकिन वह भी समान रूप से तय किया गया कि ऐसी स्थिति में, जो निष्कर्ष किसी भी मौलिक नियमों की विकृति या अभियोजन मामले की जड़ तक जाने वाले एक निश्चित प्रक्रियात्मक अन्याय से ग्रस्त है, शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप में धीमे होने का सवाल ही नहीं उठेगा। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के निर्णय *अर्जुन मारिक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य* 1994 सप्लीमेंट (2) एससीसी 372 का संदर्भ लिया सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार कहा हैः-

> "15. हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि अभ्यास के एक नियम के रूप में, हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में धीमा है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से अनुचित, अन्यायपूर्ण या अवैध या प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के कुछ मौलिक नियम का उल्लंघन है। इसके अलावा यह भी याद रखना होगा कि हत्या के ऐसे मामले में जो क्रूर और विद्रोही प्रकृति का है, अदालत के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वह सामान्य देखभाल से अधिक सावधानी से सबूतों की जांच करे, ऐसा न हो कि कानून में सबूतों की जांच को लेकर अपराध की चोकाने वाली प्रकृति एक उदासीन न्यायिक जांच के खिलाफ सहज प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दे।"

अपील के तहत फैसले में चश्मदीद गवाहों के बयान और चिकित्सा साक्ष्य बीच विरोधाभासों से संबंधित कोई फुसफुसाहट भी नहीं है। प्रासंगिक तथ्यों में और जैसा कि

ऊपर देखा गया है, चिकित्सा साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के विपरीत है, जिससे प्रत्यक्षदर्शी गवाही भरोसेमंद नहीं होती है। रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। गौरतलब है कि सभी तथाकथित चश्मदीदों को पुलिस ने अपनी हिरासत से हथकड़ी की हालत में कोर्ट में पेश किया था और साक्षी के कटघरा में ही हथकड़ी को खोला गया। ये सभी हत्या के मुकदमे में शामिल विचाराधीन कैदी हैं। इस प्रकार न्यायालय को अपने साक्ष्य की थोड़ी सावधानी और सचेतता के साथ जांच करनी होगी ताकि उनकी सत्यता का आंकलन किया जा सके। निःसंदेह सभी कथित चश्मदीद मृतक के रिश्तेदार हैं। इस प्रकार वे हितबद्ध गवाहों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक हितबद्ध गवाह होने के कारण साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाएगी, बल्कि उस स्थिति में न्यायालय ऐसे साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में अपनी जांच में काफी सख्त होगा। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से 161 के बयानों पर भरोसा किया है और अभिलेख पर उपलब्ध विरोधाभासों पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे विचार में यह उच्च न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट त्रुटि है। कारतूसों के साथ कुछ हथियार जब्त किए गए हैं और यह कहा गया है कि ऐसी बरामदगी प्रकटीकरण बयान के संदर्भ में की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष यह दृढ़ता से आग्रह किया गया है कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन है। निस्संदेह, धारा 27, हालांकि एक अपवाद प्रदान करती है, लेकिन न्यायालय को उक्त प्रावधान के उल्लंघन के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए - "साक्ष्य पर सरकार (15 वां संस्करण)" में धारा 27 के बारे में निम्नलिखित कहा गया है:-

> ".....धारा 25 और 26 के संपूर्ण प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को पुलिस द्वारा केस-डायरी में अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी के अभिलेख में हेरफेर कर कम करने की कोशिश की गई है ताकि ऐसा प्रतीत हो कि इससे कुछ तथ्यों की खोज हुई, हालांकि पुलिस ने

अन्य स्रोतों से ऐसी खोज की होगी। जब कोई तथ्य एक बार किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से पता चल जाता है, तो दोबारा कोई खोज नहीं हो सकती है, भले ही उससे संबंधित कोई भी जानकारी बाद में आरोपी से निकाली गई हो। पुलिस द्वारा कभी-कभी अपनाई जाने वाली युक्ति यह है कि एक दृश्य का मंचन किया जाए और आरोपी को उस स्थान पर ले जाया जाए जहां खोजी गई चीजें दफ़न या छिपी हुई थीं और आरोपी को बताए गए स्थान पर उनकी तलाश करने के लिए कहा जाता है या कभी-कभी सामान पहले आरोपी के सामने पेश किया गया और उसके बाद तथाकथित खोज के बारे में उसके द्वारा दिए गए कथित बयान दर्ज किए गए। न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 25 और 26 द्वारा दी गई सुरक्षा किसी तथ्य की कथित बरामदगी से संबंधित जानकारी देने वाली कहानी लिखने में पुलिस अधिकारी के चातुर्य पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।

पुलुकुरी कोटय्या बनाम सम्राट 74 इंडियन अपील 65: (एआईआर 1947 पीसी 67) में, प्रिवी काउंसिल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान पर विचार किया और कहा:-

"अनुभाग के भीतर 'खोजे गए तथ्य को खोजी गई वस्तु के समकक्ष मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु को लाया गया है और इसके बारे में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तुत वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले

इतिहास के बारे में जानकारी, उस परिप्रेक्ष्य में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि "मैं अपने घर की छत में छुपाया गया चाकू पेश करूंगा" चाकू की खोज का कारण नहीं बनता हैः चाकू की खोज कई साल पहले की गई थी। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार एक चाकू छिपाया गया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध के घटित होने में चाकू का इस्तेमाल किया गया था, तो पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान में ये शब्द जोड़ दिए जाएं कि 'जिससे मैंने ए पर वार किया , तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे मुखबिर के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।' (इंडियन अपील के पृष्ठ 77): (एआईआर के पृष्ठ 70 पर)।"

प्रभु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1963 एससी 1113) में इस न्यायालय द्वारा इन टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया गया।

आइए, इस स्तर पर, ऐसी खोजों के साक्ष्य-मूल्य का विश्लेषण करें।

(i) लाइसेंस प्राप्त डबल बैरल .12 बोर बंदूक संख्या 70002-1978 के साथ लाईसेंस संख्या 240-vii/फतेहाबाद (2.8.1992 तक वैध) के साथ तीन .12 बोर कारतूस और.12 बोर का एक खाली कारतूसा का खोल - इस पुनर्प्राप्ति ज्ञापन के गवाह ढोलूराम (पीडब्लू.10) और बुधराम (पीडब्लू.8) हैं।

(ii) जीप नंबर आरआई-3407 की बरामदगी फर्द - इस बरामदगी के गवाह ढोलूराम और बुधराम, पीडब्लू.10 और 8 हैं।

(iii) फर्द सूचना - राय साहब, राम कंवर, रिछपाल और भजन लाल, पुलिस दल को चैबल मोरी में बदीपाल नहर को ओर ले गए और उस स्थान की ओर इशारा किया जहां नहर के बाएं किनारे पर जीप खड़ी की गई थी और उसके बाद शव को नहर में डाल दिया गया थाः सूचना-ज्ञापन में भी ढोलूराम और बुधराम ही गवाह हैं।

(iv) भजन लाल, राम कंवर, रिछपाल और राय साहब आरोपी व्यक्तियों के चार प्रकटीकरण बयान हैं और सभी चारों में ढोलूराम और बुधराम, पीडब्लू.10 और 8 उनके साक्षी हैं।

(v) छेबल मोरी के पुल के पास बडीपाल नहर के बाएं किनारे से उठाई गई खून से सनी मिट्टी की फर्द बरामदगी पर भी ढोलूराम और बुधराम गवाह हैं।

(vi) आरोपी राम सिंह का खुलासा बयान/ज्ञापनः मनफूल के शव को नहर में फेंकने की प्रक्रिया में, उसके शरीर से एक सोने की अंगूठी निकाल ली गई थी और उस अंगूठी को छिपाकर रखा गया था, हालांकि बाद में उसकी बरामदगी हुई। हालांकि यह ज्ञापन रंजीत और आत्मा राम (पीडब्लू 11) द्वारा प्रमाणित है।

(vii) प्रकटीकरण बयान के संदर्भ में सोने की अंगूठी की फर्द बरामदगी में रंजीत और आत्मा राम (पीडब्लू 11) गवाह हैं।

रंजीत मृतक मनफूल का भाई हैः क्रमांक 1-5 में उल्लिखित सभी मेमो 29.1.1992 के हैं जबकि 6वें और 7वें मेमो 13.2.1992 के हैं।"

दो बरामदगी, जैसा कि ऊपर भी देखा गया है, इस प्रकार आत्माराम द्वारा देखी गईः आइए हम संक्षेप में, इस स्तर पर, आत्मा राम के बयान का संदर्भ लें, जो पहले भी देखा गया था कि 26/27.1.1992 को जब आत्माराम मनफूल के शव को खोजते हुए वह चेबल मोरी के पास पहुंचा और देखा कि एक शव तैर रहा था - फिर शव को उठाकर नहर के किनारे ले जाया गया और आत्मा राम निगरानी कर रहा था, यादराम

को पुलिस को सूचित करने के लिए भेजा गया। पुलिस ढोलू और रंजीत को साथ लेकर आई। दूसरी बार फिर जब थानेदार उनसे मिले तो आत्मा राम और रंजीत ने पूछताछ की, यह जानते हुए कि शव तो कुछ समय पहले ही बरामद हुआ था, कि राम सिंह को गिरफ्तार किया गया था या नहीं - और इसी बीच एक चार पहिया वाहन आया, जिसमें से आरोपी राम सिंह उतरा और आत्मा राम के बताने पर राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने पूछताछ शुरू की, जिससे राम सिंह ने अपराध करने और शव को नहर में फेंकने और शव की उंगली से सोने की अंगूठी उतारने का खुलासा किया और उसके बाद उसकी बरामदगी, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, अंगूठी की पहचान हो गई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड में विसंगति के कारण राम सिंह को बरी करना उचित समझा।

हालांकि, ये प्रकटीकरण किए जाने पर हुई बरामदगी के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आत्मा राम के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया अन्यथा राम सिंह को बरी करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

महत्वपूर्ण रूप से सभी खुलासे और यहां तक कि गिरफ्तारियां तीन विशिष्ट व्यक्तियों, अर्थात बुध राम, ढोलू राम और आत्मा राम की उपस्थिति में की गई हैं - उपरोक्त संदर्भ में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है - क्या यह जान-बूझ कर किया गया है या यह सरासर संयोग है - यहीं पर साक्ष्य पर सरकार के अंश की प्रासंगिकता आती है। अभियोजक द्वारा अपनाई गई चतुराई की कोई सीमा नहीं थी - क्या इसे महज संयोग माना जा सकता है? मामले पर आगे विचार किए बिना, एक बात कमोबेश निश्चित मात्रा में निष्कर्ष के साथ कही जा सकती है कि ये कम से कम ऐसा संदेह पैदा करते हैं कि क्या इसे जान-बूझ कर ऐसा बनाया गया है या नहीं और ऐसा होने की स्थिति में इस तरह के संदेह का लाभ आरोपी व्यक्तियों को अवश्य दिया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य

भरोसेमंद हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने मौखिक गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य के बीच कुछ विसंगति के आधार पर एक आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया, जैसा कि पहले पूरी तरह से देखा गया है। इस प्रकार मौखिक गवाही संदेह के घेरे में है। यदि ऐसा मामला है, तो सर्वव्यापी बुधराम और ढोलू राम के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है, जो हालांकि पूरी तरह से हितबद्ध गवाह हैं। हालांकि यह सच है कि हितबद्ध गवाहों की वैधता को किसी भी तरह से गौण नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें संदिग्ध गवाह कहा जा सकता है, लेकिन सबूतों को भरोसेमंद या विश्वास पैदा करने में सक्षम बताए जाने से पहले, न्यायालय को उचित जांच के बाद उस पर विचार करना होगा। हमारे विचार में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करके उच्च न्यायालय पूरी तरह से गलती में था। मामले का दूसरा पहलू बचाव पक्ष की दलील के संबंध में है कि मनफूल लगभग 2/3 दिनों से गाँव से लापता था और उसकी 21.1.1992 को ही हत्या कर दी गई है। डीडब्ल्यू-3 राजा राम द्वारा रिकॉर्ड पर यह बचाव साक्ष्य है कि मनफूल की हत्या 21.1.1992 को की गई थी। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बुधराम या ढोलू राम को यह नहीं बताया गया था कि हत्या 21.1.1992 को ही हुई थी और डीडब्ल्यू-3 राजा राम शोक में शामिल होने के लिए भी आया था और इसी कारण राजा राम की साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया। संयोग से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को हमेशा दागी नहीं कहा जा सकता - बचाव पक्ष के गवाह भी अभियोजन पक्ष की तरह समान व्यवहार और समान सम्मान के हकदार हैं। विश्वसनीयता और भरोसेमंदता का मुद्दा अभियोजन पक्ष के बराबर ही बचाव पक्ष के गवाहों को भी दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष के गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बचाव मामले को अस्वीकार करने में उच्च न्यायालय लापरवाह रहा है। अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू 10 ढोलूराम, को सुझाव था कि उसके पिता मनफूल घटना के दिन से

लगभग 2/3 दिन पहले से लापता थे - बचाव पक्ष से और क्या उम्मीद की जा सकती हैः एक संदेह या एक निश्चितता - न्यायशास्त्रीय रूप से एक संदेह ही काफी होगाः जब ऐसा कोई सुझाव दिया गया है तो अभियोजन पक्ष को कुछ स्वतंत्र सबूतों के साथ उन 2/3 दिनों के दौरान मृतक की उपलब्धता को रिकॉर्ड पर लाना चाहिये था। बचाव मामले को केवल उसके कारण से खारिज करना बचाव के लिए बहुत सख्त और कठोर आवश्यकता है - सभी उचित संदेहों से परे साबित करना अभियोजक का कर्तव्य है, न कि बचाव पक्ष को अपनी बेगुनाही साबित करना है- यह स्वयं एक परिस्थिति है, जो संदिग्ध नहीं होनी चाहिये।

उपरोक्त पर विचार करते हुए, हम यह दर्ज करना समीचीन समझते हैं कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रहा, जैसा कि अपील के तहत फैसले में परिलक्षित होता है और जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है। अपील (आपराधिक अपील संख्या 79/1999), इसलिए, सफल होती है और स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ताओं को हिरासत से रिहा किया जाता है, यदि किसी अन्य कार्यवाही में आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, आपराधिक अपील संख्या 78/1999 *(हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह)* विफल हो जाती है

अपील खारिज की जाती है।

सी. ए. नं. 78/99 खारिज

सी. ए. सं. 79/99 अनुमत है।

यह अनुसाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पृथ्वी पाल सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।